



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228514
CG-DL-E-28072021-228514

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2762]
No. 2762]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SRAVANA 5, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

का.आ. 2972(अ).—केन्द्र सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन की धारा 2 खण्ड (ए) के अनुसरण में (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962का 50), उक्त अधिनियम के अधीन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की पारादीप, ओडिशा से लेकर नुमालीगढ़, असम तक समर्पित, कच्चा तेल का पाइप लाइन, बिहार राज्य में बिछाने के लिए नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित प्राधिकारी (प्राधिकारीयों) को बिहार राज्य सरकार में उनके कर्तव्यों के अलावा उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित क्षेत्रों के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी (प्राधिकारीयों) के कार्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत करती है अर्थात: —

अनुसूची

पदनाम	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)
1. भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, किशनगंज, बिहार सरकार।	बिहार राज्य के किशनगंज जिला में आने वाले क्षेत्र
2. भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, पूर्णिया, बिहार सरकार।	बिहार राज्य के पूर्णिया जिला में आने वाले क्षेत्र

3. भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, कटिहार, बिहार सरकार ।	बिहार राज्य के कटिहार जिला में आने वाले क्षेत्र
4. भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, भागलपुर, बिहार सरकार ।	बिहार राज्य के भागलपुर जिला में आने वाले क्षेत्र
5. भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, अररिया, बिहार सरकार ।	बिहार राज्य के अररिया जिला में आने वाले क्षेत्र

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं.आर-11025(14)/3/2021-ओआर-I/ई-38524]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2021

S.O. 2972(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby Authorizes the Authority (s) mentioned in the column (1) of the Table given below to perform the functions of Competent Authority (s) in addition to their duties under the State Government of Bihar under the said Act for laying of dedicated Crude Oil Pipeline of Numaligarh Refinery Limited from Paradip, Odisha to Numaligarh, Assam in respect of the areas mentioned in Column (2) of the said Table: —

SCHEDULE

Designation of Authority (1)	Area of Jurisdiction (2)
1. Deputy Collector Land Reforms, Kishanganj, Govt of Bihar.	Areas falling in Kishanganj District, State of Bihar.
2. Deputy Collector Land Reforms, Purnia, Govt of Bihar.	Areas falling in Purnia District, State of Bihar.
3. Deputy Collector Land Reforms, Katihar, Govt of Bihar.	Areas falling in Katihar, District, State of Bihar.
4. Deputy Collector Land Reforms, Bhagalpur, Govt of Bihar.	Areas falling in Bhagalpur, District, State of Bihar.
5. Deputy Collector Land Reforms, Araria, Govt of Bihar.	Areas falling in Araria District, State of Bihar.

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11025(14)/3/2021-OR-I/E-38524]

P.SOMAKUMAR, Under Secy.